

## कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 02.09.2021

### शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलो में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-18 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

### 02 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार—

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे वारण्टी अभियुक्तों के गिरफ्तारी के अभियान में जनपद गोण्डा के थाना धानेपुर व कटराबाजार पुलिस ने 02 वारण्टी अभियुक्तों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

### अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

#### 01. थाना खोडारे द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पल्टू राम पुत्र अँगनू नि० भानपुर थाना खोडारे जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-131/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 02. थाना परसपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. रिकू सिंह पुत्र राम अवतार सिंह नि० ग्राम बासगाँव बरूहा माझा थाना टिकैतनगर जनपद बाराबंकी के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-231/21, 02. धर्मेन्द्र तिवारी पुत्र राम नरेश तिवारी नि० ग्राम पसका सिसइया माझा प्रभु वैश्य पुरवा थाना परसपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-232/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

#### 03. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. घिराऊ उर्फ प्रधान निषाद पुत्र रतन नि० टेढिया पुल मौजा कटराभोगचन्द्र थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-232/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 02.09.2021**

**100 ली0 अवैध अपमिश्रित कच्ची शराब व शराब बनाने के उपकरण के साथ 03 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने जनपद में अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु अभियान चलाकर कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना मनकापुर पुलिस ने थाना क्षेत्र में दबिश देकर 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 100 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब, 01 किग्रा0 यूरिया, 300 ग्राम नौसादर व शराब बनाने के उपकरण बरामद कर 05 कुन्तल लहन नष्ट किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्तगण:—**

01. कामता प्रसाद सोनकर पुत्र ननहन प्रसाद नि0 भरहू भट्ठा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
02. अमरलाल पुत्र भागीरथी उर्फ भारत नि0 भरहू भट्ठा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।
03. गुडई पुत्र विष्णु नि0 भरहू भट्ठा थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग:—**

01. मु0अ0सं0-259/21, धारा 60/60(2) आबकारी अधि0, 272,273 भादवि थाना मनकापुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी:—**

01. 100 ली0 अवैध कच्ची अपमिश्रित शराब।
02. 01 किलो0 यूरिया, 300 ग्राम नौसादर।
03. शराब बनाने के उपकरण।

**गिरफ्तार कर्ता टीम:—**

उ0नि0 रामप्रकाश मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 02.09.2021**

**250 ग्राम अवैध चरस के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध मादक पदार्थों की तस्करी व बिक्री में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना इटियाथोक पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त ननकन उर्फ कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 250 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना इटियाथोक में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. ननकन उर्फ कृष्णकुमार पुत्र नानमून कोरी नि0 गंगापड़री थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—294/21, धारा 8/20 एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना इटियाथोक जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 250 ग्राम अवैध चरस।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ0नि0 शादाब आलम मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 02.09.2021**

**थाना परसपुर ने अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार:—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना परसपुर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान अभियुक्त ननकऊ को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. ननकऊ पुत्र रजितराम नि० ग्राम कूड़ियन थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु०अ०सं०-233/21, धारा-3/25 आर्म्स एक्ट थाना परसपुर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ०नि० वीरेन्द्र प्रसाद पाल मय टीम।

**सराहनीय प्रेस नोट**  
**मीडिया सेल, जनपद गोण्डा**  
**दिनांक 02.09.2021**

**थाना को0 नगर ने 02 अवैध तमंचों के साथ 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार:—**

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री संतोष कुमार मिश्रा ने अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ चलाये जा रहे अभियान में अवैध शस्त्र रखने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों को दिये थे।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना को0 नगर पुलिस ने क्षेत्र भ्रमण के दौरान 02 अभियुक्तों—01. शनि वर्मा, 02. मदनलाल को गिरफ्तार कर जामातलाशी के दौरान अभियुक्त शनि वर्मा के कब्जे से 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस व अभियुक्त मदनलाल के कब्जे से 01 तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त—**

01. शनि वर्मा पुत्र द्वारिका प्रसाद थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मदनलाल पुत्र रामसमुझ नि0 गोसाईपुरवा लालपुर चन्द्रभान थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

**पंजीकृत अभियोग—**

01. मु0अ0सं0—680/21, धारा—3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0—681/21, धारा—3/25 आर्म्स एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

**बरामदगी—**

01. 01 तमंचा 315 बोर मय 01 जिन्दा कारतूस।
02. 01 अदद तमंचा 12 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

**गिरफ्तार कर्ता—**

01. उ0नि0 अश्वनी कुमार मय टीम।
02. उ0नि0 गोपाल सिंह मय टीम।

